

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 4, 2016 (फाल्गुन 8, 1937)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 4, 2016 (PHALGUNA 8, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं
सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई—400001, दिनांक 12 जनवरी 2016

बैंकिंग वि.आईबीडी.सं. 7715 / 23.13.062 / 2015—16—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(क) की उप-धारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि यूबीएस एजी उक्त अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत अब बैंकिंग कम्पनी नहीं है।

एन. एस. विश्वनाथन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बेंगलूर—560013

आपके पत्र सं. सी-II/10(1)2014/के.एन व गोवा/प्रस्ताव वॉल्यूम कवरेज 1(4)/25808 दिनांक 17.09.2015 के संदर्भ में, जब कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1952(1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं :

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
1	के.एन/एसएचजी/48439	मेसर्स टीएपीसीएमएस, तीरथाहल्ली	01.12.2012
2	केएन/एसएचजी/48446	मेसर्स दाईवंगना क्रेडिट को ऑपरेटीव सोसाईटी ली.	01.01.2013
3	बीजी/बीएनजी/68115	मेसर्स इनेट टेकनालॉजी इंडिया प्राई. ली.	01.05.2014
4	बीजी/बीएनजी/44531	मेसर्स प्रो सर्च कंसलटेंट्स	01.03.2011
5	केएन/सीकेआर/37416	मेसर्स चनाकेसवा स्वामी टेम्पल, बेलूर तालूक	01.09.2010
6	पीवाई/पीएनवाई/32950	मेसर्स संख्ये अकाउंटिंग सोलूसनस प्रा. ली.	01.04.2014
7	बीजी/बीएनजी/1278899	मेसर्स मारसिली इंडिया प्रा. ली.	01.04.2015
8	बीजी/बीएनजी/1142977	मेसर्स आस्था विनायका इंटरप्राइजेज	04.03.2015
9	बीजी/बीएनजी/67689	मेसर्स इवोरा आई टी सोलूसन्स प्रा. ली.	01.04.2013
10	बीजी/बीएनजी/67786	मेसर्स विश्वासा क्रेडिट कॉ ऑपरेटीव सोसाईटी ली.	01.08.2013

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायणप्पा,
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर
कृते केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 12th January 2016

DBR.IBD.No.7715/23.13.062/2015-16—In pursuance of sub-section (2) of Section 36 (A) of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the UBS AG has ceased to be a banking company within the meaning of the said Act.

N. S. VISHWANATHAN
Executive Director

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Bangalore-560013

With Reference to letter No. C-II/10(1)2014/KN & Goa/Proposal Vol.Cov1(4)/25808 Dated: 17.09.2015 WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
1	KN/SHG/48439	M/s TAPCMS, Tirthahalli	01.12.2012
2	KN/SHG/48446	M/s Daivagna Credit Co-Operative Society Ltd	01.01.2013
3	BG/BNG/68115	M/s Enate Technologies India Pvt Ltd	01.05.2014
4	BG/BNG/44531	M/s Pro Search Consultants	01.03.2011
5	KN/CKR/37416	M/s Channakeshava Swamy Temple, Belur Taluk, Hassan	01.09.2010
6	PY/PNY/32950	M/s Sankhey Accounting Solutions Pvt Ltd	01.04.2014
7	BG/BNG/1278899	M/s Marsilli India Pvt Ltd	01.04.2015
8	BG/BNG/1142977	M/s Ashta Vinayaka Enterprises	04.03.2015
9	BG/BNG/67689	M/s Evora IT Solutions Pvt Ltd	01.04.2013
10	BG/BNG/67786	M/s Vishwasa Credit Co-operative Society Ltd	01.08.2013

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

M NARAYANAPPA
ADDITIONAL CENTRAL PF COMMISSIONER-I
KARNATAKA AND GOA STATES
for Central Provident Fund Commissioner

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016
www.dop.nic.in